



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18082026-275555
CG-DL-E-18082026-275555

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4358]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 14, 2026/श्रावण 23, 1948

No. 4358]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 14, 2026/SHRAVAN 23, 1948

शिक्षा मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2026

का.आ. 4538(अ).— विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ग) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद द्वारा सुश्री दीप्ति गौड़ मुकर्जी, सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग को तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा सुश्री दीप्ति गौड़ मुकर्जी के शिक्षा मंत्रालय में उच्चतर शिक्षा विभाग के सचिव का पदभार धारित करने की तारीख तक या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सदस्य नियुक्त करती है।

[फा. सं. 7-2/2025-यू1ए]

रीना सोनोवाल कौली, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EDUCATION
(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2026

S.O. 4538(E) .— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of section 5 read with clause (c) of sub-section (1) of section 6 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the Central Government hereby appoints Ms. Deepti Gaur Mukerjee, Secretary, Department of Higher Education in the Ministry of Education as Member of the University Grants Commission for a term of three years or till such time Ms. Deepti Gaur Mukerjee occupies the post of Secretary, Department of Higher Education in the Ministry of Education or until further orders, whichever is earliest.

[F. No. 7-2/2025-U1A]

RINA SONOWAL KOULI, Jt. Secy.